

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त रिक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघुसूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार (रों)/कारण (णों) बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **13.09.2024** तक **(SORT3.UPSC@NIC.IN)** पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के पश्चात प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। यदि प्रस्तुत की भी जाती हैं तो उन्हें खोला नहीं जाएगा और उन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तथापि, इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय योग्यता के संबंध में ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात, यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन विवरण इस जगह अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

<b>पद का नाम</b>	प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी (महिला प्रशिक्षण) बांस कार्य के एक (अना.-01) पद पर भर्ती।
<b>विज्ञापन संख्या</b>	09/2024
<b>रिक्ति संख्या</b>	24050909311
<b>अपनाए गए मानदंड</b>	<p>(i) संवीक्षा ओआरए प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट और उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदनों में भरी गई जानकारी के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p> <p>(iii) अंशकालिक आधार, दैनिक आधार, आगंतुक/अतिथि संकाय, प्रति घंटे के आधार पर उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई अनुभव की अवधि पर मान्य अनुभव की गणना करते समय विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) संगत क्षेत्र में संविदा आधार/तदर्थ आधार पर अनुभव को संगत माना गया है।</p> <p>(v) अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु नियुक्ति का प्रस्ताव-पत्र/नियुक्ति पत्र पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(vi) आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत परिवचन के दृष्टिगत, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी परिवचन, जहां कहीं लागू हो, पर विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(vii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>
<b>लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानदंड</b>	अ.यो. + वा.यो.
<b>साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए</b>	<p>अनुक्रमांक 41*, 43, 54, 56, 64* &amp; 65.</p> <p align="right">(06 उम्मीदवार)</p>

(\*अंतिम)

: अस्वीकृत :

एलईक्यू	अनुक्रमांक 38 & 79.  (02 उम्मीदवार)
एलईक्यू एवं एलडीक्यू	अनुक्रमांक 03 & 47.  (02 उम्मीदवार)
एलईक्यू	अनुक्रमांक 12, 15, 20, 23, 36, 44, 58 & 74.  (08 उम्मीदवार)
निर्धारित आयु से अधिक	अनुक्रमांक 21 & 33.  (02 उम्मीदवार)
अपूर्ण आवेदन	अनुक्रमांक 62 & 75.  (02 उम्मीदवार)
शेष उम्मीदवारों को लघुसूचीयन मानदंड पूरा नहीं करने के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।	

**नोट:** इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

परामर्शदाता/उप सचिव (भ.-III)